राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1829/2025

डॉ. राजसिंह शेखावत —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. ओम प्रकाश अटल, एस.वी.ओ. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नायला, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 31.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, बी.वी.एच.ओ. के पद पर जालसू जिला जयपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नायला, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को संमजित करने के आशय से किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के विपरीत है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण के दौरान यात्रा—भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक—2) से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 11 माह की अल्प अवधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है। अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 संजय प्रभूणे बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 (अनुलग्नक—3) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, बी.वी.एच.ओ. के पद पर जालसू जिला जयपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, बी.वी.एच.ओ. के पद पर जालसू जिला जयपुर में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, नायला, जयपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। हमें प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य